Date – 6 May 2022

प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा

Yojna IAS

- भारत के प्रधान मंत्री तीन यूरोपीय देशों – जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर हैं। उनकी विदेश यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप रूस-यूक्रेन युद्ध का गवाह बन रहा है।
- भारतीय प्रधान मंत्री की यात्रा इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत यूरोप के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है।

यात्रा का महत्व:

भारत-जर्मनी संबंध:

पृष्ठभूमि:

- जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है, जिसके गहरे द्विपक्षीय संबंध हैं और यूरोपीय संघ में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
- भारत द्वितीय विश्व युद्ध (WWII) के बाद जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
- भारत और जर्मनी के बीच मई 2000 से 'रणनीतिक साझेदारी' है और 2011 में शासनाध्यक्षों के स्तर पर अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) की शुरूआत के साथ इसे मजबूत किया गया है।
- भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसके साथ जर्मनी की संवाद प्रणाली है।

महत्त्व:

- रूस-यूक्रेन युद्ध में जर्मनी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विकल्प बन गया है।
- इसने रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करने के साथ-साथ रक्षा खर्च बढ़ाने का फैसला किया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- भारत भी रक्षा आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है, इसलिए भारत और जर्मनी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे रणनीतिक विकल्पों पर नोटों का आदान-प्रदान करें और अपनी-अपनी जरूरतों के लिए रूस से दूर चले जाएं।

भारत-डेनमार्क संबंध:

पृष्ठभूमि:

- सितंबर 2020 में आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को "हरित सामरिक साझेदारी" के स्तर तक बढ़ा दिया गया था।

Yojna IAS

- सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए पहला भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2018 में आयोजित किया गया था।
- यह सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्डिक देशों – स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड का ऐसा सहयोग केवल अमेरिका के साथ है।

महत्त्व:

- नॉर्डिक देश नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मानवाधिकार और कानून के शासन में अग्रणी हैं। इन देशों के साथ सहयोग भारत के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।
- भारत भी अपने बड़े बाजार के कारण इन देशों के लिए अवसर प्रस्तुत करता है।
- भारत द्वारा कई नई फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें नॉर्डिक देश सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर सकते हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्टार्ट-अप इंडिया, स्वच्छ गंगा आदि।

भारत-फ्रांस संबंध:

पृष्ठभूमि:

- भारत और फ्रांस के परंपरागत रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं।
- 1998 में, दोनों ने एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की, जिसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग और असैन्य परमाणु सहयोग के स्तंभ थे।
- भारत और फ्रांस के बीच एक मजबूत आर्थिक साझेदारी है और सहयोग के नए क्षेत्रों में तेजी से शामिल हो रहे हैं।
- फ्रांस भी उन कुछ पश्चिमी देशों में से एक था जिसने 1998 के पोखरण परीक्षणों के बाद भारत की निंदा नहीं की।
- यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करना जारी रखता है।

Yojna IAS

- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत के प्रवेश में फ्रांस का समर्थन महत्वपूर्ण था।
- फ्रांस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के लिए भारत का समर्थन करना जारी रखता है।
- फ्रांस ने यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति के तहत भारतीय नागरिकों को सूचीबद्ध करने के पाकिस्तान के प्रयासों को अवरुद्ध करने के भारत के अनुरोधों का भी समर्थन किया है।

महत्त्व:

- **हिंद महासागर में सामान्य हित:** फ्रांस को अपनी औपनिवेशिक क्षेत्रीय संपत्ति की रक्षा करने की आवश्यकता है, जैसे कि रीयूनियन द्वीप समूह और हिंद महासागर भारत के लिए प्रभाव का क्षेत्र है।
- **आतंकवाद का मुकाबला:** फ्रांस ने आतंकवाद पर एक वैश्विक सम्मेलन के लिए भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है।
- दोनों देश एक नए "नो मनी फॉर टेरर" के आयोजन का भी समर्थन करते हैं – आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
- **फ्रांस द्वारा भारत का समर्थन:** फ्रांस ने कश्मीर पर भारत का लगातार समर्थन किया है, जबकि पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों में हाल के दिनों में गिरावट देखी गई है और चीन के साथ उसके संबंध संदेहपूर्ण हैं।
- **रक्षा सहयोग:** भारत और फ्रांस घनिष्ठ रक्षा साझेदारी के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में फ्रांस के राफेल के बहुउद्देश्यीय लड़ाकू श्रेणी के विमान को भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल किया गया है।

Yojna IAS

भारत-यूरोप संबंध:

पृष्ठभूमि:

- भारत 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
- 1994 में हस्ताक्षरित एक सहयोग समझौते ने मंत्रिस्तरीय बैठकों और राजनीतिक संवादों को शामिल करके संबंधों को और व्यापक बनाया।
- इन संबंधों का विस्तार राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु, स्वास्थ्य, कृषि और खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति को शामिल करने के लिए किया गया है।

यात्रा का महत्व:

- यूरोप की यात्रा से भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार करने और मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो पिछले डेढ़ दशक से चल रही है।

Yojna IAS

Swadeep Kumar

नागरिक पंजीकरण प्रणाली

- 2020 नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट (सीआरएस) पर आधारित हाल ही में जारी महत्वपूर्ण सांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में देश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दर्ज किया गया था।
- रिपोर्ट भारत के महापंजीयक द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- जन्म के समय लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर जन्म लेने वाली महिलाओं की संख्या है। जनसंख्या के लिंग अंतर को मापने में यह एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल:

- भारत के महापंजीयक की स्थापना वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी।
- यह भारत की जनगणना और भारतीय भाषा सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों का आयोजन, संचालन और विश्लेषण करता है।
- अक्सर एक सिविल सेवक को रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया जाता है, जिसकी रैंक संयुक्त सचिव के समान होती है।
- भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम' 1969 के अधिनियमन के साथ अनिवार्य बना दिया गया है और घटना के स्थान के अनुसार किया जाता है।
- गृह मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ जन्म और मृत्यु के वास्तविक समय पंजीकरण को सक्षम करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली में सुधार करने की योजना बना रही है।

Yojna IAS

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (RBD) अधिनियम:

- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में देश भर में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में एकरूपता और इसके आधार पर महत्वपूर्ण डेटा के संकलन के लिए अधिनियमित किया गया था।
- अधिनियम के अधिनियमन के साथ, भारत में जन्म, मृत्यु और मृत जन्म का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है।
- देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- जनगणना संचालन निदेशालय, महापंजीयक के कार्यालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और यह कार्यालय अपने संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अधिनियम के कामकाज की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- **जन्म के समय उच्च लिंगानुपात**: यह वर्ष 2020 में लद्दाख (1104) में दर्ज किया गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (1011), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (984), त्रिपुरा (974) और केरल (969) में दर्ज किया गया।
- वर्ष 2019 में जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश (1024) में दर्ज किया गया, इसके बाद नागालैंड (1001), मिजोरम (975) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (965) में दर्ज किया गया।
- जन्म के समय लिंगानुपात की जानकारी महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से "उपलब्ध नहीं" थी।
- **जन्म के समय सबसे कम लिंग अनुपात**: मणिपुर (880), दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव (898), गुजरात (909), हरियाणा (916) और मध्य प्रदेश (921)।
- वर्ष 2019 में सबसे कम लिंगानुपात गुजरात (901), असम (903), मध्य प्रदेश (905) और जम्मू-कश्मीर (909) में दर्ज किया गया।
- **जन्म दर**: नागालैंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, मणिपुर, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उत्तराखंड,

Yojna IAS

महाराष्ट्र, मिजोरम और जैसे राज्यों में पंजीकृत जन्म दर में चंडीगढ़ में गिरावट दर्ज की गई।

- लक्षद्वीप, बिहार, हरियाणा, सिक्किम, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पंजीकृत जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई है।
- **मृत्यु दर**: वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, अंडमान और निकोबार और असम रेट में बढ़ोतरी हुई है।
- बिहार में मृत्यु दर सबसे अधिक 3% है, इसके बाद महाराष्ट्र में 16.6% और असम में 14.7% है।
- इस बीच, मणिपुर, चंडीगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में 2019 की तुलना में 2020 में मृत्यु दर में कमी देखी गई है।
- **शिशु मृत्यु दर**: रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 में 1, 43,379 शिशु मृत्यु दर्ज की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा केवल 4% था, जबकि कुल पंजीकृत शिशु मृत्यु का 76.6% शहरी क्षेत्र में दर्ज किया गया है।
- पंजीयकों को शिशु मृत्यु की सूचना न देने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु का पंजीकरण न होना चिंता का विषय था, विशेषकर घरेलू आयोजनों के मामले में।

Yojna IAS

Swadeep Kumar

दया/क्षमादान याचिका

- हाल ही में, 'सुप्रीम कोर्ट' ने केंद्र सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दोषी को रिहा करने की सलाह दी है, क्योंकि वह पहले ही तीन दशकों से अधिक की सेवा कर चुका है।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सलाह दी है, क्योंकि राज्यपाल ने 'दोषी' की रिहाई के संबंध में 'राज्य मंत्रिमंडल' की बाध्यकारी सलाह को "अनदेखा" करने का निर्णय लिया है।

संबंधित मामला:

- तमिलनाडु के राज्यपाल ने 'राज्य मंत्रिमंडल' की सलाह की अनदेखी करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति को 'दया याचिका' पर निर्णय लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 161 के बारे में:

- संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत, किसी राज्य के राज्यपाल, उस मामले के संबंध में, जिस पर उस राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, क्षमा, निलंबित, किसी भी कानून के खिलाफ अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सजा, निलंबित करने की शक्ति या सजा देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने के लिए एक सजा दी जाती है।

Yojna IAS

अनुच्छेद 72 बनाम अनुच्छेद 161:

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की सीमा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा शक्ति से अधिक है।

यह शक्ति निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न होती है:

- अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा या सजा तक फैली हुई है, जबकि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है।
- राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड के सभी मामलों में क्षमादान देने की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का विस्तार मृत्युदंड तक नहीं है।

क्षमा शक्ति का महत्व:

- कार्यपालिका की क्षमादान शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यायपालिका द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक करती है। यह अभियुक्त को उसके दोष या निर्दोषता पर विचार किए बिना दोषसिद्धि के प्रभाव को हटा देता है।
- न्यायपालिका की गलती या संदिग्ध दोषसिद्धि के मामले में किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित होने से बचाने में क्षमा शक्ति बहुत सहायक होती है।
- क्षमा करने की शक्ति का उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना है। क्योंकि न्यायिक प्रशासन से संबंधित कोई भी मानव व्यवस्था दोषों से मुक्त नहीं हो सकती।

Yojna IAS

Swadeep Kumar